न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर०ए०एस०

पंचायत निगरानी सं.– 175/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/260)

निगरानीकर्ता/प्रार्थी:–

मानाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:–

1. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बोरानाडा, पंचायत समिति, लूणी, जिला जोधपुर।
2. जीयाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 68 दिनांक 21.03.1991, मिसल सं. 32/1989–90 दायरा दिनांक 05.05.1989 जो ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी (प्रार्थी की ओर से)।
2. अप्रार्थी सं.-02 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–निर्णय– **दिनांक : 18.07.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरानाडा, पंचायत समिति लूणी द्वारा ग्राम बोरानाडा की आबादी भूमि में मिसल सं. 32/1989–90 दायरा दिनांक 05.05.1989 में जारी पट्टा सं. 68 दिनांक 21.03.1991 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 20.03.2017 को मानाराम द्वारा पेश की गई है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 2 जीयाराम के नाम जारी नोटिस दिनांक 13.06.2017 व 08.05.2018 को उनके पुत्र

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रकाश सोउ द्वारा तामिल किये गये है। तामिल कुनन्दा की रिपोर्ट अनुसार प्रकाश, अपने पिता जीयाराम के साथ ही रहता है। अतः परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा प्राप्त नोटिस को पर्याप्त तामिल के रूप में माना जाता है। नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी सं. 2 गैर हाजिर रहा। अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये जाते है।

3. अप्रार्थी सं. 1 पर नोटिस तामिल है। अप्रार्थी सं. 1 ने पत्रांक 202 दिनांक 14.03.2018 से मिसल सं. 40/03.06.74, 44/05.06.74, 32/19.09.90 तथा आबादी भूमि विक्रय रजिस्टर दिनांक 21.02.1974 से 05.06.1974 एवं 29.10.88 से 20.11.90 तक उपलब्ध कराया, परंतु ग्राम पंचायत का बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर व पट्टा बुक उपलब्ध नहीं कराई।

4. निगरानी में वर्णित अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता मानाराम का ग्राम बोरानाडा की आबादी भूमि में खरीदसुदा भूखण्ड आया हुआ है, जो उसने सन् 2012 में फिलिप राजकुमार मैथ्युज से खरीदा है तथा खरीद की तारीख से उक्त भूखण्ड पर मालिक काबिज चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड का पट्टा सं. 44 मिसल सं. 44 में दिनांक 05.06.1974 बनाप 442 वर्गगज, ग्राम पंचायत बोरानाडा ने रामलाल पुत्र बस्तीराम माहेश्वरी के नाम जारी किया था। प्रार्थी के भूखण्ड की पूर्व दिशा में 15 फीट चौडाई का रास्ता स्थित है तथा रास्ते से आगे अप्रार्थी सं. 2 जीयाराम का भूखण्ड स्थित है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम जारी पट्टा वाला भूखण्ड पूर्व में, अप्रार्थी सं. 2 के पिता मंगलाराम पुत्र हीराराम जाट के नाम ग्राम पंचायत ने मिसल सं. 40/1974 बनाप 364 वर्गगज दिनांक 25.11.1974 को जारी किया गया है। फिर भी मंगलाराम के पक्ष में जारी पट्टे का समर्पण करके अप्रार्थी 2 के नाम दिनांक 21.03.1991 को मिसल सं. 32/89–90 में पट्टा सं. 68 जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होंने से अपास्त योग्य है, क्योंकि ग्राम पंचायत को पूर्व में जारी पट्टे को निरस्त करने का अधिकार ही नहीं था। अप्रार्थी 2 ने आवेदन पत्र में भूमि का लाटा बताया है, जबकि पूर्व में ही पट्टा मिसल सं. 40/1974 में जारी हो चुका था तथा अप्रार्थी के नाम दुबारा पट्टा जारी करने हेतु भूमि आबादी में उपलब्ध ही नहीं थी। पूर्व पट्टाधारी मंगलाराम द्वारा पट्टा समर्पण करने बाबत कोई दस्तावेज अप्रार्थी सं. 2 ने पेश नहीं किया था। पट्टा जारी करने से पूर्व पडौसियों को सुना नहीं गया तथा प्रकिया का पालन किये बिना ही पट्टा जारी कर दिया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

वादग्रस्त पट्टा की भूमि की उत्तरी भुजा 49 फीट, दक्षिणी भुजा 52 फीट, पूर्वी भूजा 101 फीट व पश्चिमी भुजा 107 फीट दर्शायी है, जो पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध ही नहीं थी। उक्त नाप का पट्टा प्रार्थी के पट्टे में वर्णित रास्ते की भूमि सम्मिलित करने पर ही उपलब्ध हो सकती है। प्रार्थी के पडौस में दर्शाए रास्ते की भूमि को अप्रार्थी 2 के नाम जारी पट्टे में शामिल कर ली गई है। अप्रार्थी 2 का पुराना कब्जा कभी भी नहीं रहा। अप्रार्थी 2 के नाम पट्टा जारी करने की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 07.02.2017 को होने पर ग्राम पंचायत से दिनांक 08.02.2017 को रिकॉर्ड की नकले प्राप्त कर निगरानी पेश की जा रही है। जिसे स्वीकार कर मिसल सं. 32 पट्टा सं. 68 रसीद सं. 87 दिनांक 21.03.1991 से जारी पट्टे को निरस्त किया जावे।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री अशोक चौधरी, एडवोकेट ने बहस के दौरान निगरानी याचिका में अभिलिखित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि निंगरानीकर्ता मानाराम का ग्राम बोरानाडा की आबादी भूमि में खरीदसुदा भूखण्ड आया हुआ है, जो उसने सन् 2012 में फिलिप राजकुमार मैथ्युज से खरीदा है तथा खरीद की तारीख से उक्त भूखण्ड पर मालिक काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी के भूखण्ड की पूर्व दिशा में 15 फीट चौडाई का रास्ता स्थित है तथा रास्ते से आगे अप्रार्थी सं. 2 जीयाराम का भूखण्ड स्थित है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम जारी पट्टा वाला भूखण्ड पूर्व में, अप्रार्थी सं. 2 के पिता मंगलाराम पुत्र हीराराम जाट के नाम ग्राम पंचायत ने मिसल सं. 40/1974 बनाप 364 वर्गगज दिनांक [illegible]5.11.1974 को जारी किया गया है। फिर भी मंगलाराम के पंक्ष में जारी पट्टे का समर्पण करके अप्रार्थी 2 के नाम दिनांक 21.03.1991 को मिसल सं. [illegible]2/89–90 में पट्टा सं. 68 जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है, क्योंकि ग्राम पंचायत को पूर्व में जारी पट्टे को निरस्त करने का अधिकार ही नहीं था। पूर्व पट्टाधारी मंगलाराम द्वारा पट्टा समर्पण करने बाबत कोई दस्तावेज अप्रार्थी सं. 2 ने पेश नहीं किया था। प्रार्थी के पडौस में दर्शाए रास्ते की भूमि को अप्रार्थी 2 के नाम जारी पट्टे में शामिल कर ली गई है। अप्रार्थी 2 का पुराना कब्जा कभी भी नहीं रहा। पट्टा जारी करने से पूर्व पडौसियों को सुना नहीं गया तथा प्रक्रिया का पालन किये बिना ही पट्टा जारी कर दिया। अतः अवैध रूप से जारी पट्टा को निरस्त किया जावे।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) • जोधपुर •

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

6. हमने प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा ग्राम पंचायत बोरानाडा से उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिलेख का अध्ययन कर, उस पर मनन किया।

a) निगरानीकर्ता मानाराम स्वयं को आक्षेपित भूखण्ड के पडौस के भूखण्ड का केता बताता है तथा उसी के कारण भूखण्ड पर अपना मालिकाना कब्जा होने का दावा कर रहा है, प्रार्थी के अनुसार मिसल सं. 44 में दिनांक 25.11.1974 को ग्राम पंचायत बोरानाडा ने 442 वर्गगज का पट्टा श्री रामलाल पुत्र बस्तीराम माहेश्वरी के नाम जारी होना बताया है, परंतु रामलाल के पक्ष में जारी पट्टा की प्रमाणित प्रति निगरानी के साथ पेश नहीं की है। ग्राम पंचायत ने भी पट्टा बुक पेश नहीं किया है। मिसल सं. 44 दर्ज दिंनाक 05.06.1974 के अनुसार, ग्राम पंचायत ने रामलाल को जरिए निलामी 45 रूपये में 442 वर्गगज भूमि विक्रीत की, जिसका अंकन आबादी भूमि के विक्रय रजिस्टर में कमांक 44/1974 पर अंकित हे। मिसल में उपलब्ध अभिलेख अनुसार रामलाल के इस भूखण्ड का नाप व पडौस इस प्रकार है:–

उत्तर में– चम्पालाल का बाडा–भुजा नाप 23 गज
दक्षिण में– मूलचंद का प्लॉट– भुजा नाप 29 गज
पूर्व में – दरवाजा व 15 फीट चौडा रास्ता–भुजा नाप 16 गज
पश्चिम में– पंचायत की आबादी भूमि– भुजा नाप 18 गज

याची के पास उक्त भूखण्ड के टाईटल का हस्तांतरण विधिवत रूप से किस प्रकार हुआ, इसका कोई विधिमान्य दस्तावेज याची ने पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र के साथ एक आममुख्त्यारनामा दिनांक 18.09.2012 की फोटोप्रति पेश की है, जिसे अनुसार फिलिप राजकुमार मैथ्युस ने याची मानाराम को अपना आममुख्तयार कुछ कार्य करने हेतु नियुक्त किया है तथ इसमें यह लिखा हुआ है कि मूल पट्टाधारी रामलाल के पुत्र गिरधारीलाल ने बहैसियत आम मुख्त्यार रामलाल, उक्त भूखण्ड सिरिल बहादुर मैथ्युस को बेचा था तथा सिरिल बहादुर से यह भूखण्ड जरिये उत्तराधिकार फिलिप राजकुमार मैथ्युस को प्राप्त हुआ है, परंतु मानाराम याची को फिलिप राजकुमार द्वारा यह भूखण्ड बेचने का कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर याची ने पेश नहीं किया है। फिर भी प्रार्थी ने निगरानी मीमों में उक्त भूखण्ड को फिलिप से कय करना बताया है, जो गलत हे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

माननीय सर्वोच्च नयायालय ने Suraj Lamp Industries Pvt. Ltd. V/S State of Haryana (2012)1 SCC 656 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है–

20. "A power of Attorney is not an instrument of in regard to any right, title or interest in the immovable property. Even an irrevocable attorney does not have the effect of transferring title to the grantee.

It is time that an end is put to pernicious practice of SA/GPA/WILL transaction known as GPA Sales. It was held that Object of Registration Act, 1908 is to protect from fraud; and forgery of documents of transfer for transaction therewith.

इस प्रकार प्रार्थी को पॉवर ऑफ एटॉर्नी के आधार पर रामलाल के नाम जारी पट्टे की भूमि में फिलिप राजकुमार मैथ्युस के माध्यम से किसी प्रकार में हक, टाईटल या हित सृजित नहीं हो सकते है तथा याची इस याचिका में व्यथित व्यक्ति नहीं है तथा याची को यह याचिका व्यथित व्यक्ति के रूप में पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।

b) ग्राम पंचायत बोरानाडा ने मिसल सं. 40/03.06.1974 में दिनांक 25.11.1974 को 364 वर्गगज का पट्टा मंगलाराम पुत्र हीराराम के नाम, भूमि निलामी में 40 रूपये में बेचने के कारण जारी किया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल सं. 40/74 में उपलब्ध आदेशिकाओं अनुसार भूखण्ड की निलामी तत्समय प्रवर्तनशील नियमों अनुसार की गई। भूखण्ड के पडौस व नाप इस प्रकार है:–

उत्तर में– रास्ता–भुजा नाप 13 गज

दक्षिण में– रास्ता– भुजा नाप 13 गज

पूर्व में – रास्ता–भुजा नाप 28 गज

पश्चिम में– ग्राम पंचायत की आबादी भूमि– भुजा नाप 28 गज लंबी

उक्त भूखण्ड बाबत जारी पट्टा विलेख की प्रति न तो प्रार्थी ने पेश की है तथा न ही ग्राम पंचायत ने पट्टा बुक पेश की है, परंतु ग्राम पंचायत के आबादी विक्रय रजिस्टर में यह संव्यवहार कमांक 40/1974 पर दर्ज है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

c) प्रार्थी का कथन है कि मंगलाराम के नाम से जारी उक्त विवरण के पट्टे की भूमि पर ही पुनः नया पट्टा अप्रार्थी 2 जीयाराम पुत्र मंगलाराम के नाम मिसल सं. 32/1989–90 में दिनांक 21.03.1991 को पुराना कब्जा बताकर जारी किया है, जिसमें रामलाल के नाम जारी पट्टा दिनांक 25.11.1974 में पूर्व में दर्शायी 15 फीट की रास्ते की भूमि सम्मिलित कर दी है। ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल सं. 32/89–90 में उपलब्ध अभिलेखों अनुसार जीयाराम पुत्र मंगलाराम द्वारा दिनांक 05.05.1989 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर मिसल सं. 32/89–90 कायम की गई। दिनांक 13.06.1989 को तीन पंचों की मौका जांच हेतु कमेटी गठित की गई। जिसने दिनांक 18.06.1989 को मौका देखा तथा दिनांक 20.06.1989 को ग्राम पंचायत में निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट पेश की तथा ग्राम पंचायत ने रिपोर्ट स्वीकार कर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की तथा फॉर्म सं. 50 में आपत्तियां जारी की गई तथा दिनांक 20.06.1989 को चस्पा की गई। दिनांक 05.08.1989 को ग्राम पंचायत की बैठक में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने के कारण, पुराना कब्जा के आधार पर आपसी बातचीत से भूखण्ड बेचना तय किया तथा निलामी नहीं करने का निर्णय लिया। दिनांक 20.08.1989 को आपसी बातचीत से 211 रूपये की राशि में भूखण्ड बेचने की स्वीकृति प्रदान की तथा दिनांक 21.03.1991 को राशि जमा होने पर पट्टा सं. 68 जारी किया गया। जो ग्राम पंचायत के सपंति रजिस्टर में कमांक 32/05.05.1989 पर दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त पट्टा सं. 68 की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है तथा न ही ग्राम पंचायत ने पट्टा बुक उपलब्ध कराई है। आवेदनकर्ता जीयाराम ने दिनांक 03.05.1989 में जो पडौस व नाप दर्शाये है, वे इस प्रकार है–

पूर्व में– कच्ची सडक–बोरानाडा से सालावास सडक बीच में 25 फीट दूरी है–भुजा 101 फुट लंबी

पश्चिम में– मांगीलाल व रामलाल जी महाजन की भूमि– भुजा 107 फुट लंबी

उत्तर में– देरामजी जाट वगैरा–भुजा नाप 49 फुट

दक्षिण में– रास्ता 12 फुट चौडा– भुजा नाप 52 फुट

उक्त नक्शे को मौका निरीक्षण कमेटी ने प्रमाणित नहीं किया है तथा क्षेत्रफल का कॉलम खाली छोड़ा है तथा न ही कमेटी ने अपनी तरफ से कोई

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नक्शा तैयार किया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत की पूरी कार्यवाही में भूखण्ड का क्षेत्रफल कहीं भी नहीं खोला है, दर्शाया है। संपति रजिस्टर में भी भूखण्ड का क्षेत्रफल अंकित नहीं है तथा ग्राम पंचायत ने कहीं भी यह नहीं लिखा है कि आवेदक के पिता मंगलाराम के नाम से पूर्व में मिसल सं. 40/03.06.1974 में दिनांक 25.11.1974 बनाप 364 वर्गगज का पट्टा का समर्पण किया गया है।

पूर्व में मंगलाराम के नाम जारी पट्टा व दिनांक 21.03.1991 को पुत्र जीयाराम के नाम जारी पट्टे के पडौसों व भुजाओं के नाप का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है—

	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
मंगलाराम	रास्ता—28 गज —84 फीट	आबादी—28 गज —84 फीट	रास्ता 13 गज —39 फीट	रास्ता—13 गज—39 फीट
जीयाराम	सडक—101 फीट	मांगीलाल/ रामलाल—107 फीट	देरामजी 49 फीट	रास्ता 12 फीट चौडा — भुजा 52 फीट
अंतर	**17 फीट**	**23 फीट**	**10 फीट**	**13 फीट**
रामलाल महाजन	रास्ता 15 फीट लंबाई 48 फीट	पंचायत की आबादी भूमि 54 फीट	चंपालाल का बाडा 69 फीट	मूलचंद—87 फीट

उक्त तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि मंगलाराम के पक्ष में 364 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है तथा जीयाराम को 583.55 वर्गगज (5252 वर्गफीट) का पट्टा जारी किया गया है जो 219.55 वर्गगज अधिक है। रामलाल के पट्टे के पूर्व में 15 फीट चौडा रास्ता दर्शाया है तथा जीयाराम के पश्चिम में पडौस रामलाल का दर्शाया है, जबकि जीयाराम के पश्चिम में रास्ता दर्शाना चाहिए था क्योंकि रामलाल का आवंटन पूर्व का है। जीयाराम के प्लॉट की उत्तरी भुजा की लंबाई 49 फीट है जबकि मंगलाराम के प्लॉट की उत्तरी भुजा 39 फीट थी।

इसी प्रकार जीयाराम के प्लॉट की दक्षिणी भुजा की लंबाई 52 फीट बताई है, जबकि मंगलाराम के प्लॉट की दक्षिणी भुजा 39 फीट ही थी। इस प्रकार जीयाराम के प्लॉट की उत्तरी भुजा 10 फीट तथा दक्षिणी भुजा 13 फीट, मंगलाराम के प्लॉट से अधिक है, जिसका कारण संभवतः रामलाल के प्लॉट के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पूर्व में दर्शाया 15 फीट चौडा रास्ता की भूमि जीयाराम के पट्टे में सम्मिलित होने के कारण है।

रामलाल के प्लॉट की पूर्व दिशा में 15 फीट चौडाई का रास्ता दर्शाया है तथा रामलाल ने यह भूखण्ड ग्राम पंचायत बोरानाडा से सार्वजनिक खुली निलामी में खरीदा है। यह रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ छोडा गया है, जिसकी भूमि किसी भी प्रकार से व्यक्ति विशेष को आवंटित नहीं की जा सकती तथा आमजन के आवागमन के उपयोग व उपभोग के लिए हमेशा रास्ता खुला रहना चाहिए।

7. उक्त तथ्यात्मक विवेचनानुसार ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 जीयाराम के पक्ष में मिसल सं. 32/1989–90 दर्ज दिनांक 05.05.1989 में जारी पट्टा सं. 68 दिनांक 21.03.1991 अपास्त योग्य है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 13.06.1989, 18.06.1989, 20.06.1989, 05.08.1989, 20.08.1989 व 21.03.1991 (जीयाराम के पट्टे की सीमा तक) भी अपास्त योग्य है तथा प्रकरण को ग्राम पंचायत बोरानाडा को जीयाराम के पक्ष में जारी उक्त पट्टा सं. 68 दिनांक 21.03.1991 की पुनः गहन जांच कर, पुनः नियमानुसार निर्णय लेने हेतु प्रतिप्रेषित करना यह न्यायालय न्यायोचित समझता है।

आदेश

8. उपर्युक्त विवेचनानुसार ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा पट्टा मिसल सं. 32/89–90 दायरा दिनांक 05.05.1989 में जारी पट्टा सं. 68 दिनांक 21.03.1991 बहक श्री जीयाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी बोरानाडा को अपास्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा उक्त पट्टा जारी करने बाबत पारित प्रस्ताव दिनांक 13.06.1989, 18.06.1989, 20.06.1989, 05.08.1989, 20.08.1989 व 21.03.1991 को भी अपास्त किया जाता है तथा निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है।

9. अप्रार्थी सं. 2 जीयाराम नए सिरे से वादग्रस्त भूखण्ड पर पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। आवेदन प्रस्तुत करने पर, ग्राम पंचायत बोरानाडा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों के तहत, आबादी भूमि के विक्रय से संबंधित किये गये उपबंधों की पूर्णतः पालना करते हुए तथा रामलाल के भूखण्ड के पूर्व पडौस में 15 फीट रास्ता छोडते हुए आवेदक के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। आवेदक जीयाराम को पट्टा दिनांक 21.03.1991 ग्राम पंचायत बोरानाडा में जमा कराना होगा।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

10. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत बोरानाडा को लौटाया जावे।
11. अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
12. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर